


पीठारसी अधिकारी को ~~नियत~~ सेरे /
 कानून ~~नियत~~ सेरे /
 वरत ~~नियत~~ सेरे /
 के राजस्व मुकदमा ~~नियत~~ सेरे /
 पेशी दिनांक 28/12/25
 नियत की जाती है।

~~नियत~~ सेरे /
 कानून ~~नियत~~ सेरे /
 वरत ~~नियत~~ सेरे /
 के राजस्व मुकदमा ~~नियत~~ सेरे /
 पेशी दिनांक 3/9/25
 नियत की जाती है।

3/9/2025

वकील उम्रपक्ष उप०। बहस वकील उम्रपक्ष पुनी
 गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमावली
 संख्या 2073-76 के खसरा नम्बर 1716/449 खसरा
 11-10 बीघा वाले ग्राम छान में शर्ही व अपार्थी
 गण संयुक्त आराजीपाट है। संयुक्त आराजी पर
 को उम्रपक्ष बिना सहमति बंटवारे के अन्य किसी
 को बेचान कर देता है तो उम्रपक्ष को अप्रतुल्य
 क्षति होगी। पक्ष दुब्ब्य भागला शर्ही के पक्ष में
 गति है। शर्ही का संतुल्य अप्रतुल्य शर्ही
 शर्ही के पक्ष में गति है। इस कारण शर्ही
 का शर्ही पत्र स्वीकार किया जागे न्यायोचित है।

अतः शर्ही गण का शर्ही पत्र अस्थायी
 निर्बंधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 RTA स्वीकार किया जाता
 है। उम्रपक्ष को अस्थायी निर्बंधाज्ञा से 50 प्रतिशत
 की जारी की जाती है कि मूल वाद के अन्तिम निर्णय
 तक ग्राम छान के खसरा नम्बर 1716/449 खसरा
 11-10 बीघा भूमि का किसी अन्य को बेचान नहीं
 करें एवं उम्रपक्ष अपने-अपने हिस्से अनुसार कब्जा
 करते हैं किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।
 पत्रावली के संलग्न दस्तावेज नम्बर से कर दे तथा कर
 तकमिल दफ्तर दालिल है।


 उपस्थित अधिकारी
 सहाय (स० ग०)